



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)




प्रतिवादी-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
12/24	188 RTA	कडैयानोहर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रुघुनाथ	बनाम	रामकल्याण	

वकील :- श्री दीपक वर्मा **आदेश पत्रक** वकील:-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

06.02.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ..... 27.2.24 को पेश हो।	
27.2.24	आज पीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3.4.24 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
3.4.24	आज पीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.5.24 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	नॉट 3, अडॉक्ट अडॉक्ट अडॉक्ट
22.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपरो/ प्रतिवादी अफ 1 नॉ 3 की ओर ले श्री अशोक मेहता एडवोकेट द्वारा अडॉक्टिंग पेश की है। पत्रावली वास्ते वकालतनाम/ जवाब दिनांक 3.7.24 को पेश हो।	
3.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकालत करीबेन उपरो/ जवाब/ वकालतनाम पेश करते हेतु लम्प पेश है। पत्रावली वास्ते जवाब/ वकालतनाम दिनांक 14.8.24 को पेश हो।	

124  
 न्यायालय उप जिला  
 to Reader  
 check stamp  
 of Comm

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
14.8.24	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20.8.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सेडर              न्यायालय उपखण्ड अधिकारी              छबड़ा (बारा),           </p>
20.8.24	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलार करीबन 350 प्रतिवादी एक 1 वा 3 की ओर से श्री अशोक मेहता एडवोकेट ने बकालतगाथा पेश किया है। जो शांति विभागाधीन वकील प्रतिवादी ने प्र. पत्र आदेश 7 निपत 11 धारा 151 CPC पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई। पत्रावली वाले जवाब प्र. पत्र (7R11) दिनांक 24.9.24 को पेश हो।</p>
24.9.24	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24.9.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सेडर              न्यायालय उपखण्ड अधिकारी              छबड़ा (बारा),           </p>
6.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलार करीबन 350 प्र. पत्र 07 R11 धारा 151 CPC का जवाब वकील वादी ने पेश नहीं किया है। अन्य बातें हैं पत्रावली वाले जवाब दिनांक 10.12.24 को पेश हो।</p>
10.12.24	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16.12.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सेडर              न्यायालय उपखण्ड अधिकारी              छबड़ा (बारा),           </p>
16.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपर नहीं हैं। न्यायालय के कल-कल करतीं वार जवाब लगाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंटरमिडियेट विभागाधीन कोई उपर नहीं हुआ। प्रकरण ऊपर धात्री एवं ऊपर धात्री के खारिज किए गए हैं। पत्रावली पेशाल सुधार होकर इस किल सुधार हो।</p>